

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मानसिंह बनाम धर्मासिंह वगैरा बनाम मु. सं.
-------------	---

दिनांक 29-11-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18-01-2016 निरस्त की जाती है। पत्रावली संख्या शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

2
उपखण्ड अधिकारी
गढ़वा (वि. सं. 10)